



राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड  
A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248013  
ई-मेल : ceo-shauk@uk.gov.in



पत्रांक- रा0स्वा0प्रा0/2021-22/ 2092

दिनांक 26 फरवरी, 2022

निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस

श्री विपिन गहलौत  
आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल  
अपोजिट कक्कू टायर शॉप, मुरादाबाद रोड  
निकट ढेलापुल, काशीपुर  
ऊधमसिंह नगर-244713  
E-mail Id: tpa.ayushman@gmail.com

1. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनायें (AB-PMJAY, AAUY तथा SGHS) के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय आयुष्मान मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल अपोजिट कक्कू टायर शॉप, मुरादाबाद रोड निकट ढेलापुल, काशीपुर ऊधमसिंह नगर द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टतया संतुष्ट होने पर निम्न आरोप लगाया जाता है।

आरोप

हॉस्पिटल के क्लेम्स के ऑडिट/जांच से यह विदित हुआ है कि कुल 1324 केसेज, जिनकी धनराशि 3,42,50,908 (तीन करोड़ बयालीस लाख पचास हजार नौ सौ आठ) रुपये है तथा जिनकी सूची संलग्न है, में हॉस्पिटल द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में दाखिल किये क्लेम्स में पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, जो कि डॉ0 योगेश स्वामी, MD, पैथोलॉजी के नाम व हस्ताक्षर तथा हॉस्पिटल की मोहर के साथ दी गयी हैं, वे फर्जी हैं। डॉ0 योगेश स्वामी न तो इस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और न ही उनका इस हॉस्पिटल से कोई सम्बन्ध है। जांच के दौरान डॉ0 योगेश स्वामी द्वारा उनके नाम का गलत उपयोग करने तथा उनकी फर्जी हस्ताक्षर किये जाने की पुष्टि लिखित रूप में अपनी डिक्लेयरेशन दिनांक 29.01.2022 को 31 जनवरी, 2022 की ई-मेल द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजी गयी है, तथा जो स्पीड पोस्ट द्वारा भी दिनांक 16.02.2022 को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। यह निम्न प्रकार है:-

हस्ताक्षर


**TO WHOM IT MAY CONCERN**

IT IS TO BE DECLARED THAT MYSELF, DR. YOGESH SWAMI, MD PATHOLOGY, WORKING AS PATHOLOGIST IN MY OWN HOSPITAL, SPARSH HOSPITAL, AWAS VIKAS, HALDWANI ON FULL TIME MANNER.

I AM NOT ASSOCIATED OR WORKING TO ANY OTHER PRIVATE OR GOVERNMENT HOSPITAL OR PATHOLOGY LAB IN ANY PART OF UTTARAKHAND ON FULL OR PART TIME BASIS. I AM NOT GIVEN AUTHORITY TO ANY OTHER PRIVATE OR GOVERNMENT HOSPITAL OR PATHOLOGY LAB TO USE MY CREDENTIALS WITHOUT MY PERMISSION.

THANKING YOU  
SPARSH HOSPITAL  
DR. YOGESH SWAMI'S VIKAS  
HALDWANI (U.K.)  
MD PATHOLOGY  
REG NO. UMC 7204

DATE: 29 JAN 22



उक्त से स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा फर्जी रिपोर्ट्स दाखिल करके क्लेम्स प्राप्त करने हेतु न केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ कपटपूर्ण व्यवहार/धोखाधड़ी की गयी है, वरन् यह रोगियों के समुचित उपचार व उनके जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एक गम्भीर आपराधिक कृत्य है।

2. हॉस्पिटल पर लगाये गये उक्त आरोप मरीजों के स्वास्थ्य/जीवन के लिए एक गम्भीर खतरा उत्पन्न कर सकता है, अतः सम्यक विचार एवं परीक्षण के उपरान्त हॉस्पिटल की इम्पैनलमेंट और डी-इम्पैनलमेंट की गाईडलाइन्स के अन्तर्गत हॉस्पिटल की सूचीबद्धता (Empanelment) तत्काल प्रभाव से (अंतिम निर्णय होने तक) निलम्बित (Suspend) की जाती है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं/मरीजों को गैर सुरक्षित उपचार/गलत भुगतान की संभावना से बचा जा सके। इस विषय पर अंतिम निर्णय होने तक हॉस्पिटल की Login को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के सिस्टम पर तत्काल ब्लॉक कराने की कार्रवाही भी की जाये किन्तु जो मरीज वर्तमान में हॉस्पिटल में इलाज प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए Login खुला रहेगा ताकि समुचित इलाज प्राप्त कर मरीज डिस्चार्ज हो सके।
3. हॉस्पिटल को उक्त आरोप के सम्बन्ध में हॉस्पिटल की इम्पैनलमेंट और डी-इम्पैनलमेंट की गाईडलाइन्स के अन्तर्गत यह "कारण बताओ नोटिस" भी दिया जाता है कि हॉस्पिटल के साथ किये गये अनुबंध एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गाईडलाइन्स के प्राविधानों के अनुसार क्यों न हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त करते हुये उसका डि-इम्पैनलमेंट कर दिया जाये। हॉस्पिटल की इम्पैनलमेंट और डी-इम्पैनलमेंट

*Handwritten signature*

की गार्डिलाइन्स के अनुसार हॉस्पिटल को इस "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर देने के लिए 5 कार्य दिवसों का समय दिया जाता है। यदि हॉस्पिटल द्वारा 5 कार्य दिवसों में नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि हॉस्पिटल द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा हॉस्पिटल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। यद्यपि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में स्वयं हॉस्पिटल के पास सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, तथापि हॉस्पिटल को यह अवसर भी दिया जाता है कि यदि कोई अभिलेख हॉस्पिटल के स्वयं के पास उपलब्ध नहीं है तथा केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास उपलब्ध हैं तो वह उक्त निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं।

4. यह निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस हॉस्पिटल को ई-मेल तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

h  
26.2.22

(डॉ० ए० के० गोयल)

निदेशक हॉस्पिटल मैनेजमेंट

(प्राधिकृत अधिकारी)

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला, अधिकारी, जनपद उधमसिंह नगर।
3. समस्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उधमसिंह नगर।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
6. नोडल अधिकारी, आई०ई०सी० को आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर, उधमसिंह नगर की सूचीबद्धता का अनुबन्ध निलम्बित होने के सम्बन्ध में जन-साधारण को अवगत कराने हेतु मीडिया में प्रकाशनार्थ।

(डॉ० ए० के० गोयल)

निदेशक हॉस्पिटल मैनेजमेंट

(प्राधिकृत अधिकारी)

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण